

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

220 KV GSS, RVPNL, VKIA, JAIPUR



NO. RRVPNL/XEN/220 KV GSS/VKIA/F. /D. 893Dt. 10/03/2017

NOTICE FOR CLRC WORK

To

All Registered Contractors of the ZCE (T&C), RVPNL

Jaipur

Sub: - General Cleaning Work at 220KV GSS VKIA, Jaipur

Dear Sir's,

The acceptance are invited from the E & G category contractors registered in Jaipur zone to carrying out the General Cleaning work at 220 KV GSS VKIA, Jaipur on the rates ,term and condition of CLRC which issued by the Superintending Engineer (SSPC) , RVPNL, Jaipur vide letter No. RVPNL/SE/SSPC/TK/A1/TN-2975/CLRC/D.501 dt. 24.05.2013 and further extended vide letter No 303 dt 18.05.2015 and D.1151 dt 11.09.2015. The quantum of work involved comes to Rs. 97910.00/- As per G Schedule as per BSR 2011 with premium 60% on BSR 2011 as applicable for Jaipur area.

Please send your acceptance within 10 days from dispatch of this letter, so that further action may be taken. If your reply not received within the period, it will be presumed that you are not interested in such work.

A favourable reply is expected, thanking you.

Encl:- As above 'G' Schedule

(A.K. Mathur)

Executive Engineer

220 KVGSS VKIA. Jaipur

Copy submitted to the following for information and further n/a:-

- (1) The TA to Superintending Engineer (TCC-I) ,RVPNL, Jaipur
- (2) The TA to CE(T&C) ,Jaipur for uploading of NIT /G Schedule on the web site of Nigam as per order no. 1860 dt 26.08.2015 of the CE (T&C), RVPNL, Jaipur.
- (3) Notice Board 220 KV GSS ,VKIA, Jaipur
- (4) E mail Address-tender zcetncjaipur@gmail.com

Executive Engineer

220 KVGSS VKIA. Jaipur

राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधिषाषी अभियंता 220 के.वी.जी.एस.एस. रोड न.14
वी.के.आई.एरिया जयपुर

G. Schedule-

क्र.	कार्य का विवरण	आवृत्ति	इकाई	दर	क्षेत्रफल
1	सामान्य सफाई कार्य				
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • 220 के.वी.जी.एस.एस. के नियंत्रण कक्ष, कार्यालय, पी.एल.सी.सी., बैट्रीकक्ष, विश्राम गृह आदि में झाडू से सफाई व फिनायल से पोचा का कार्य। • नियंत्रण कक्ष समेत सभी कमरो के दरवाजो एवं खिडकियों (मय शीशो) की सफाई का कार्य। • समस्त शोचालयों, मुत्रालयों में फिनायल/रसायन से धुलाई / सफाई का कार्य। • नियंत्रण कक्ष सहित सभी कमरों की छतों व कोनो में जालो की सफाई का कार्य। • परिसर के कूडे दानो को खाली कर परिसर से बाहर नियत स्थान पर कूडे को डालना। 	प्रतिदिन	100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल	19.00	485 वर्ग मीटर
1.2	नियंत्रण कक्ष से मुख्य द्वार तक की सड़क व अन्य सड़के तथा उनके दोनों ओर छोडी गई खाली जगह की सफाई व समस्त कचरे को बाहर डालने का कार्य।	प्रतिदिन	100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल	03.60	1450 वर्ग मीटर
1.3	यार्ड की अन्दर की सड़क, निरीक्षण पथ टेंच कवर व फाउण्डेशन आदि की झाडू से सफाई व कचरे को बाहर डालना।	साप्ताहिक	100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल	04.00	4000 वर्ग मीटर
1.4	नियंत्रण कक्ष, विश्राम गृह व अन्य कार्यालय परिसरों की छत व बरसाती नालों की सफाई कार्य व निकले कूडे को परिसर से बाहर नियत स्थान पर डालना।	मासिक	100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल	03.60	430 वर्ग मीटर
CLRC RATE IS 60% ABOVE AS PER ORDER NO. D.501 DT.24.05.2013 OF THE SE (SSPC), RVPN, JPR.					

संलग्न:-नियम व शर्ते

CR

अधिषाषी अभियंता
220 के.वी.जी.एस.एस.
वी.के.आई.एरिया जयपुर

नियम व शर्तः-

1. सफाई कार्य हेतु झाड़ू व पोचा,डस्टर आदि ठेकेदार को लाने होंगे ।
2. अन्य सफाई का सामान जैसे फिनायलगोली,रसायन आदि विभाग द्वारा दिये जायेंगे ।
3. साधारणतः सफाई कार्य क्र.सं. 1.1 व 1.2 प्रतिदिन एक बार होगा ।
4. शौचालय / मूत्रालय आदि में फिनायल / रसायन का प्रयोग करते हुए धुलाई करनी होगी ।
5. समस्त कचरा प्रतिदिन जी.एस.एस. परिसर से बाहर प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना होगा
6. अनुबन्ध की अवधि अधिकतम एक वर्ष हागी विभाग द्वारा आवश्यकता पडने पर अनुबन्ध अवधि को दो-तीन माह और बढ़ाया ता सकता है, बढ़ाई गई अवधि का भुगतान अनुबन्ध की स्वीकृत दरों के आधार पर ही किया जायेगा ।
7. ठेकेदार के मासिक बिलों में से भविष्य निधि की राशि नियमानुसार काटी जायेगी ।
8. कार्य करते समय आवश्यक सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जाना आवश्यक है किसी कर्मचारी की दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
9. उपरोक्त कार्य में क्र.सं. 1.1 व 1.2 का माप दीवार से दीवार तक का क्षेत्रफल माना जावेगा,स्थापित उपकरणों के नीचे का क्षेत्रफल नहीं घटाया जायेगा ।
10. विद्युत प्रवाहित क्षेत्र में कार्य विभागीय अधिकारी की निगरानी में होगा ।
11. भुगतान कार्य संतोषप्रद होने पर ही किया जावेगा ऐसा नही होने पर कार्यादेश निरस्त किया जा सकता है ।
12. जिस दिन का कार्य नहीं किया जायेगा उस दिन का भुगतान काटा जावेगा ।
13. सफल निविदाकर्ता को 2: प्रतिभूति राशि जमा करानी होंगी ।
14. सफाई कार्य प्रातः 9बजे पूर्व सम्पन्न करना होगा ।

अधिषाषी अभियंता
220 के.वी.जी.एस.एस.
वी.के.आई.एरिया जयपुर